सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 63/2018

शांति देवी स्त्री गणपतलाल जाति ब्राह्मण निवासी डीडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा
...प्रार्थी

बनाम

1 कमलेश कुमार पुत्र कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण निवासी देहलाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0
2 ग्राम पंचायत अमराबाद तहसील रामगढ पचवारा पंचायत समिति लालसोट जरिये सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत अमराबाद
3. अति0 जिला कलेक्टर, दौसा जिला दौसा श्री राजवीर सिंह चौधरी ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री कैलाश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की ओर से

निर्णय

दि0 06.06.2018

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रकरण संख्या 16/17 प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उनवानी शांति देवी बनाम कमलेश विचाराधीन है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के यहां उनवानी शांति देवी बनाम कमलेश निगरानी विचाराधीन है। जिसमें वास्ते बहस प्रा0 पत्र द्फा–5 कानून मियाद के लिए विधि के विपरीत नियत कर रखी हैं जबकि ग्राम पंचायत के अधिनियम के तहत निगरानी के लिये कोई मियाद नहीं हैं। मियाद के बिंदु के सुनवाई हेतु निगरानी के गुणावगुण पर भी देखना आवश्यक है। गुणावगुण पर तभी देखा जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली में शामिल की जावें। किंतु पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना पत्रावली के ही विधि विपरीत सुनवाई करने से ऐसा प्रकट होता है कि वे प्रार्थीनी के साथ न्याय नहीं करना चाहते है। उक्त पत्रावली की सुनवाई दौसा में ही करते है किंतु प्रार्थीनी की अनुपस्थिति में गलत ढंग से ता0पे0 14.11.17 नियत की जाकर पत्रावली लालसोट कैम्प में रख दी गई। इस प्रकार अति0 जिला कलेक्टर दौसा की कार्यशैली से ऐसा प्रकट होता है कि वह वास्तविक रुप से न्याय पर पहुँचना नहीं चाहते है। प्रार्थीनी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण श्रीमान् के समक्ष तलब कर बहस सुनकर निर्णय सुनवाई फरमाने की कृपा करे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के यहां उनवानी शांति देवी बनाम कमलेश निगरानी विचाराधीन है। प्रा0 पत्र में अंकित तथ्य झूँठे एवं मन गझन्त है। माननीय न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता

नहीं है। प्रार्थी बेवजह हैरान व परेशान करने की गरज से स्थानान्तरण प्रा0 पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रा0 पत्र स्थानांतरण निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं अति0 जिला कलेक्टर, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 19.04.2018 का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के यहां उनवानी निगरानी विचाराधीन है। प्रकरण में गैर निगरानीकार द्वारा जवाब प्रा0 पत्र दफा–5 पेश किया जाने पर प्रा0 पत्र दफा–5 का निस्तारण प्राथमिक तौर पर किया जाना अपेक्षित होना पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया हैं। चूँकि प्रकरण का पूर्णतः विधिनुसार परीक्षण कर ही कोई निर्णय पारित किया जाता है। कानून के अंतर्गत यदि कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, तो पक्षकारान को उसके संबंध में न्यायालय के समक्ष अपना जवाब व उससे संबंधित रुलिंग रखने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मात्र दफा–5 के प्रा0 पत्र को आधार बनाकर ही प्रकरण का स्थानांतरण करवाया जावें। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रा0 पत्र में बार–बार यही दोहराया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली से उनको ऐसा प्रकट होता है कि पीठासीन अधिकारी वास्तविक रुप से न्याय पर पहुँचना नहीं चाहते है। ऐसा उनकी धारणा हो सकती है। मात्र धारणा रखने से कानूनी बिंदुओं को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रकरण की सुनवाई किया जाना प्रकट होता है। प्रकरण मूलतः तहसील लालसोट का होने से पीठासीन अधिकारी का कैम्प कोर्ट लालसोट होने से पत्रावली वहॉ रखी जाने के लिए वे स्वतंत्र है। इसमें किसी प्रकार की कोई बदयान्ती प्रतीत नहीं होती है। बल्कि पक्षकारान को लालसोट में प्रकरण रखने में सुविधा रहती है। राज्य सरकार द्वारा पक्षकारान की सुविध को देखते हुए जगह–जगह कैम्प कोर्ट आयोजित किये जाते है, जिसका लाभ उठाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में लगाये गये आरोप मनगढन्त होना बताया है तथा प्रकरण अन्यत्र स्थानांतरण करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना अपने पत्र में अंकित किया है। पत्रावली, वरवक्त बहस व पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मात्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अनेकों बिन्दु उठाये गये है, जिनका इस प्रार्थना पत्र से कोई सम्बन्ध न होकर विचाराधीन वाद की मेरिट से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/ सबूत पेश नही किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पीठासीन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। प्रा0 पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रा0 पत्र स्थानान्तरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र खारिज किया जाकर अति0 जिला कलेक्टर, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06 जून, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official